न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –145/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/169

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सत्यनारायण सारस्वत पुत्र श्री मोहनलाल ,जाति–सारस्वत ब्राह्मण ,निवासी–ओझा की पोल,जायल तहसील–जायल , जिला–नागौर		1. राजस्थान राज्य जरिऐ पटवारी हल्का,जायल 2. तहसीलदार, जायल, राज0

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 18.12.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,जायल द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 अनवान् पटवारी हल्का जायल बनाम सत्यनारायण में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.07.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया हैं । मयाद के बिन्दू पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा बहस के समय प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पैरवी हेतु उनके द्वारा अभिभाषक नियुक्ति किया हुआ था तथा अपीलांट इस विश्वास में रहा कि न्यायालय का निर्णय होने पर उनको उनके अभिभाषक द्वारा अवगत करवा दिया जायेगा परन्तु निर्णय से न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवगत करवाया गया एवं न ही उनके अभिभाषक द्वारा अवगत करवाया गया । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। दिनांक 24.07.2024 को तहसील कार्यालय के कार्मिक अपीलांट की दुकाने हटाने के लिऐ आये तब इस निर्णय की जानकारी अपीलांट को हुई हैं तथा जानकारी से अपीलांट द्वारा यह अपील अन्दर मयाद पेश की हैं। इसलिए अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जावें।

राजपेसोकार का कथन हैं कि न्यायालय की पत्रावली में समय–समय पर अपीलांट का अभिभाषक उपस्थित रहा हैं तथा उनको एवं उनके अभिभाषक को न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी रही हैं। उसके बाद भी एक वर्ष विलम्ब से यह अपील पेश की है तथा विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण विद्यमान नहीं हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हैं तथा उनको कानून की बारिकीयों की जानकारी नहीं है,इसलिए प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–

कलक्टर नागौर

पत्र के संलग्न पेश किये गये शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुवें अपील अपीलांट अन्दर मयाद मानी जाती हैं।

वकील अपीलांट द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह निवेदन किया हैं कि पटवारी हल्का जायल द्वारा एक अनाधिकृत कब्जा बाबत् रिपोर्ट श्रीमान् के समक्ष पेश करते हुए बताया हैं कि,मुझ अपीलार्थी का खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.0127 है0 भूमि पर दुकान बनाकर गै0मु0 नाडी की भूमि पर कब्जा बताया गया हैं। उक्त रिपोर्ट पर श्रीमान् तहसीलदार,जायल द्वारा मुझ अपीलार्थी की जबाब देही बंद करते हुए मुझ अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं देते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश उक्त कार्यवाही को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को मौके पर से बेदखल करने व लगान के 50 गुना के बाराबर जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय एवं आदेश पूर्णतया गलत अनुचित एवं अवैध होने से कारण से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य हैं।

उक्त निर्णय एवं आदेश से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1427 को गै0मु0 नाडी मानते हुए धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि मानते हुए उक्त निर्णय आदेश पारित किया है। मुझ अपीलार्थी का वर्तमान खसरा नम्बर 1427 पर कब्जा बताते हुवें उक्त भूमि को गैर मुमकिन नाडी की भूमि बताया हैं,जो गलत हैं क्योंकि वर्तमान खसरा नबर 1427 का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अपीलार्थी का उक्त खसरा नम्बर 1427 की भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं। खसरा नम्बर 1427 मौके पर न तो अस्तित्व में है तथा नही जिस भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा हैं व भूमि खसरा नम्बर 1427 का भाग हैं। खसरा नम्बर 1427 की भूमि मौके पर कभी भी न तो नाडी की भूमि रही हैं व न ही नाडी का अस्तित्व रहा हैं। उक्त भूमि के चारो तरफ आबादी भूमि के मकानात,दुकाने,जायल बस स्टेण्ड,सड़के व अन्य भिन्न–भिन्न प्रकार के निर्माण कार्य आये हुए हैं। इस भूमि के आसपास चारो तरफ काफी दूरी पर कहीं पर कोई तालाब या नाडी नहीं आई हुई हैं। इन दुकानों पर प्रत्यर्थीगण खसरा नम्बर 1427 का भाग होना बताकर आरोप लगा रहे हैं। उक्त 127 वर्गमीटर में बनी दुकाने एक मात्र अपीलार्थी के स्वामित्व एवम् अधिभोग की दुकाने हैं। जिन पर अपीलार्थी का पिछले करीबन 60 वर्षों से भी ज्यादा समय से शान्ति पूर्ण कब्जा हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थी के नाम से विद्युत एवम् जल कनेक्शन लगा हुआ हैं।

लिखित बहस में यह तथ्य भी अंकित किये हैं कि जहां तक प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त भूमि के उतरी तरफ जिस भूमि को खसरा नम्बर 1427 गै0मु0 नाडी बता रहे हैं। वस्तुतः वादग्रस्त भूमि के उतरी तरफ करीबन 20 से 25 फीट चौड़ी सड़क हैं,जो सड़क जायल बस स्टेण्ड से श्री वैंकटेस मंदिर की तरफ जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त भूमि के उतरी तरफ सड़क चलती हैं,तो ऐसी स्थिति में गैर मुमकिन नाडी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया हैं,जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त एवम् पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक एवम् न्यायसंगत हैं। उक्त प्रकरण में जिस भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा बताया हैं वह भूमि नियमन योग्य होने से नियमन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत हैं। जिसका आदेश भी हो चुका हैं,जिसे नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की हैं।

कलक्टर नागौर

वकील अपीलांट ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया हैं कि पूर्व में चले वादग्रस्त भूमि के धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के प्रकरण में अगर कोई आदेश पारित हो जाता हैं तो ऐसी स्थिति में उसी आदेश के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए तथा पुनः धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही किया जाना न तो न्यायोचित हैं एवं न ही विधिअनुसार इस प्रकार से कोई कार्यवाही की ही जा सकती हैं। उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने वाले पटवारी हल्का के कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई हैं एवं न ही कोई साक्ष्य पेश की गई हैं तथा न ही अपीलार्थी को कोई साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया हैं।

बहस के अन्त में अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं आदेश को निरस्त घोषित किया जावें एवं मुझ अपीलार्थी के विरूद्ध संस्थित की गई उक्त कार्यवाही निरस्त घोषित की जाकर उक्त जायगा का नियमन मुझ अपीलार्थी के नाम किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया हैं।

लिखित बहस के साथ एक अन्य आवेदन बाबत् मौका निरीक्षण करवाये जाने का पेश कर प्रश्नगत भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का भी निवेदन किया हैं।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि राजस्व रेकार्ड अनुसार मौजा जायल के खसरा नम्बर 1427 की किस्म गै0मु0 नाडी हैं। अपीलांट द्वारा गै0मु0 नाडी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर दुकानों का निर्माण किया गया हैं। दुकाने बाबते समय उन्हें निर्माण नहीं करने हेतु पावन्द भी किया गया परन्तु उनके द्वारा आदेश की अनदेखी कर दुकानों का निर्माण किया गया हैं। अपीलांट द्वारा गै0मु0नाडी की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने से पटवारी हल्का की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उसे अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना एवं बेदखली का आदेश तहसीलदार,जायल द्वारा इस प्रकरण में पारित किया गया हैं,जो विधिवत् किया गया हैं। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

राजपेरोकार का यह भी कथन हैं कि अपीलांट द्वारा लिखित बहस के साथ मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाये जाने का आवेदन भी पेश किया गया,जिसमें किसी प्रकार का आधार नही हैं क्योंकि अपीलांट प्रश्नगत भूमि का अतिक्रमी हैं,उसका इस भूमि पर कोई अधिकार ही नही हैं। तथा दफा 91 आर.एल.आर.एक्ट. के प्रकरण में मौका रिपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं हैं। इसलिए आवेदन–पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्व प्रथम वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण आवेदन–पत्र का अवलोकन किया गया,जिसमें ऐसा कोई प्रश्न/तथ्य विद्यमान नहीं हैं,जिससे प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवायी जानी आवश्यक हो,वैसे ही प्रकरण में भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट पूर्व में पत्रावली पर मौजूद हैं। तथा किसी पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य संग्रहण के लिए बिना किसी आधार के मौका रिपोर्ट मंगवायी जानी भी उचित नहीं हैं। इसलिए यह आवेदन–पत्र दिनांक 03.12.2024 बाबत् मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं।

मूल अपील के निस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,जायल द्वारा दिनांक 16.03.2022 को तहसीलदार,जायल को प्रस्तुत की टी0पी0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट अनुसार सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल,जाति–ओझा, तहसील–जायल द्वारा ग्राम जायल के खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.0127 है0 किस्म भूमि गै0मु0 नाडी

पर अनाधिकृत कब्जा कर पक्का निर्माण कर दुकाने बनाना दर्ज किया हैं। इस रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत् 2078 के अनुसार खसरा नबर 1427 की किस्म गै0मु0 नाडी अंकित हैं तथा इसमें सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल द्वारा पक्का निर्माण कर दुकाने बनाना अंकित किया हैं। इस प्रकार इन दस्तावेजो से यह भली भांति साबित हैं कि खसरा नम्बर 1427 की भूमि किस्म गै0मु0 नाडी हैं। अपीलांट ने खसरा नम्बर 1427 भूमि की जिस जगह पर वह अनाधिकृत कब्जा कर दुकाने बना रहा हैं वह भूमि उनके स्वामित्व की भूमि होने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में गै0मु0 नाडी की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणीयॉ में आती हैं पर किये गये अनाधिकृत कब्जा व निर्माण के विरुद्ध तहसीलदार,जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 विधिसम्मत् हैं।

अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा हैं कि जिस भूमि पर उनकी दुकाने बनी हैं,वह भूमि खसरा नम्बर 1427 का भाग नहीं हैं बल्कि उनके स्वामित्व की भूमि हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अपीलांट द्वारा यह कहीं नहीं बताया हैं कि जब उनके निर्माण की भूमि खसरा नम्बरर 1427 में नहीं हैं तो फिर किस भूमि पर स्थित हैं। दूसरी तरफ उनकी दुकानों के नियमन का भी अनुरोध किया जा रहा हैं। इस प्रकार अपीलांट के इस स्वीकृत तथ्य से एवं मौका रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का,जायल दिनांक 15.03.2022 एवं मौका फर्द दिनांक 16.03.2022 जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हैं,जिससे यह साबित हैं कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1427 गै0मु0 नाडी की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया हैं। इस प्रकार अतिक्रमी को इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार की राहत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अपीलांट द्वारा अपील में यह भी एतराज प्रकट किया हैं उनको सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने से यह प्रकट हैं कि अपीलांट की ओर से उनके अभिभाषक शिवकुमार पारासर दिनांक 08.03.2023 तक उपस्थित रहें हैं। जिससे यह प्रकट हैं कि अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर इस प्रकरण में दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार,जायल द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 विधि अनुरूप पारित किया हुआ होने से इस निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,जायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड पुनः लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर